संख्या-110/2023/744/23-10-23-40(सामान्य)/2023

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 29 मई, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जनपद बांदा में बांदा-नरौनी मार्ग के किमी0 20 से गिरवां-रामपुर-स्यौढा मार्ग पर केन नदी स्योढा घाट (निहालपुर घाट) पर दीर्घ सेतु के मरम्मत कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग) लो0नि0वि0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-681/प्रा0-आगणन-बांदा(गिरवां-रामपुर-स्यौढा)/सेतु-6/23-24 दि0 01.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बांदा में बांदा-नरौनी मार्ग के किमी0 20 से गिरवां-रामपुर-स्यौढा मार्ग पर केन नदी स्योढा घाट (निहालपुर घाट) पर दीर्घ सेतु के मरम्मत कार्य की लागत रू0 238.01 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 119.00 लाख (रू0 एक करोड उन्नीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित तालिकानुसार व अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद कार्य का विवरण	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5
1	जनपद बांदा में बांदा-नरौनी मार्ग के किमी0 20 से गिरवां-रामपुर-स्यौढा मार्ग पर केन नदी स्योढा घाट (निहालपुर घाट) पर दीर्घ सेतु के मरम्मत कार्य	238.01	119.00	नि0ख0-1 लो0नि0वि0 बांदा
	योग-	238.01	119.00	

रू0 119.00 लाख (रू0 एक करोड उन्नीस लाख मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत सेतु के मरम्मत कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in/GOMTRA

(3) उक्त सेतु के मरम्मत कार्य की वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,19,00,000 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 30540480004 पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या-110/2023/744/23-10-23-40(सामान्य)/2023-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
2- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/ जिलाधिकारी, बांदा ।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूटधाम (बांदा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बांदा ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA